

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6951/2026

Bhart Singh S/o Khuman Singh, Aged About 32 Years, R/o
Nishaniya Police Station Soyat Kalan District Agar (M.p.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ram Pratap Deora for Mr. Kalu Singh Sisodiya
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

22/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पुलिस थाना रायपुर जिला झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2026 अपराध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 331(5), 351(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उस पर मध्य रात्रि को परिवादी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने का आक्षेप लगाया गया है जो सर्वथा मिथ्या है। उस पर ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि वह चोरी करने के आशय से घुसा हो, वास्तविकता में परिवादी की पत्नी सोना ने दस हजार रुपये का मोबाइल प्रार्थी/अभियुक्त की दुकान से खरीदा था, जिसके पैसे अदा नहीं किए थे इस कारण से यह झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में जो भी गवाह बनाए गए हैं, वे पड़ौसी हैं, प्रार्थी की पत्नी जो उस समय घर में ही साथ रह रही थी, उसे गवाह नहीं

बनाया गया है। प्रार्थी के गिरफ्तार किए जाने पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। अतः उसका अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाए।

उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने के लिए भी तत्पर है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि परिवादी ने अविलम्ब जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें उसके घर में घुसकर मारपीट करना बताया है। पड़ोसियों के आने पर अभियुक्त का भाग जाना बताया गया है, पड़ोसियों के कथन लेखबद्ध हुए हैं। उनका तर्क है कि पूर्व में भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इसी प्रकृति का एक अन्य प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें समझौता हो जाने के कारण वह निर्णीत किया गया है। अभी अनुसंधान किया जाना है, अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 331(5), 351(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में मध्य रात्रि को परिवादी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने का आक्षेप है, परिवादी का चोट प्रतिवेदन भी पत्रावली पर संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का भी एक प्रकरण धारा 323, 457 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता का दर्ज रहा है, जिसमें राजीनामा हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध अभी तक आई साक्ष्य से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में उसे मिथ्या संलिप्त किया जा रहा है। प्रार्थी से अभी अनुसंधान भी शेष है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना-पत्र इस स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J